एस एम ए एम के तहत विशेष स्वचालित कृषि मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध

कठिन परिश्रम को कम करने और किसानों को कृषि कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करने के लिए, भारत सरकार अपने कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस एम ए एम) के तहत विशेष स्वचालित मशीनों की खरीद के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। क्रॉप रीपर, पोस्ट होल डिगर/ऑगर और न्यूमेटिक/अन्य प्लांटर जैसी विशेष मशीनों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसके लिए भारत सरकार का कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग अपने मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सब्सिडी दे रहा है। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कुल लागत के 40-50% के बीच तक की सब्सिडी दी जाती है।

महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित लाभार्थियों को मशीन की कुल लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाती है। अन्य लाभार्थियों के लिए सब्सिडी कुल लागत का 40% तक है।

विशेष स्वचालित मशीनों की खरीद के लिए एस एम ए एम योजना के तहत लागत मानदंड और वित्तीय सहायता का प्रतिरूप

विशेष स्वचालित मशीन	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमान्त किसान, महिलाएं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लाभार्थियों के लिए		अन्य लाभार्थियों के लिए	
	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप	अधिकतम स्वीकार्य अनुदान (सब्सिडी)	सहायता का प्रतिरूप
रीपर	75,000 रुपये	50%	60,000 रुपये	40%
पोस्ट होल खोदक (डिगर)/औगर	75,000 रुपये		60,000 रुपये	
न्यूमैटिक/अन्य प्लांटर	90,000 रुपये		75,000 रुपये	